



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122022-241004  
CG-DL-E-12122022-241004

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5547]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2022/अग्रहायण 21, 1944

No. 5547]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5783(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, बिहार राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ 319ए (मोहनिया- रामगढ़- चौसा- बक्सर) के कि.मी. 30.660 से कि.मी. 65.909 के निर्माण (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन/4 लेन बनाया जाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

## अनुसूची

बिहार राज्य के अन्तर्गत जिला कैमुर, राष्ट्रीय उच्च पथ 319ए (मोहनिया- रामगढ़- चौसा- बक्सर) के कि.मी. 30.660 से कि.मी. 65.909 में भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, बक्सर ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH319A के कि.मी. 30.66 से 65.909 तक	बिहार	बक्सर	बक्सर	<div>1 दुबौली (थाना संख्या 317)</div> <div>2 दरहपुर (थाना संख्या 354)</div>

[फा. सं. RW/PAT/NH/319A/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2022

**S.O. 5783(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of Schedule annexed here to as the competent authority to perform the function of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, district, Taluk, and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Project management, operation including construction of the National Highway 319A from Km. 30+660 to Km. 65+909 (Mohania-Ramgarh-Chausa-Buxar) in the State of Bihar for up-gradation to Two Lane / Four Lane with Paved shoulder configurations as specified in the Schedule given below.

## SCHEDULE

**Land acquisition on National Highway 319A (Mohania-Ramgarh-Chausa-Buxar) from Km. 30+660 to Km. 65+909 in the State of Bihar.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Aquisition Officer , Buxar ()	30.66KM To 65.909KM	BIHAR	BUXAR	Buxar	<div>1 Dubauli (Thana No. 317)</div> <div>2 Darahpur (Thana No. 354)</div>

[F. No. RW/PAT/NH/319A/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director